

राजस्थान
उच्च न्यायालय
(अधिवक्ता कार्यालय)
जयपुर

30/11/23
श्री. राजेश कुमार

1. तहसीलदार, राशनी को भुंकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र प्रविष्टि :-
2. प्रार्थी श्री. राजेश कुमार को संवर्णना।

क्रमांक: स्टि/5-11 (900)2023

दिनांक :-

राजस्थान
उच्च न्यायालय
(अधिवक्ता कार्यालय)
जयपुर



1.	बखारपुरा	76	मंगराज पुत्र चारिया	मंघा पुत्र नाक
क्र.सं.	सौजा	खाला संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)

आदेश दिये जाते है :-

प्रार्थी के "खाला इकरती" प्रार्थना पुत्र एवं पटवारी, पटवार हल्का सोनी, में अभिलेख निरीक्षक वृत्त राशनी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशनी की राजस्व अर्जशा के आधार पर राजस्थान में राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में सौजा बखारपुरा तहसील राशनी व जिला टिवाड़ की जमाबन्दी सम्वत् 2077 में खाला संख्या 76 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है :-

प्रॉसो :- 220 / 2023

:- आदेश :-

प्रशासन गाँवों के संग
अभियान-2023

(पीठाधीन अधिवक्ता कैम्प कोर्ट) कैम्प :- राजकीय उच्च न्यायिक विद्यालय

राजस्थान सरकार
न्यायालय उच्च न्यायालय अधिवक्ता एवं पटल सहायक कलक्टर राशनी

